

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक.क्रमांक-1240 / 2014

संस्थित दिनांक-22.12.2014

फाई. क.234503010312014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. सुनील पिता बखरूदास, उम्र-30 वर्ष,
 2. प्रदीप पिता बखरूदास, उम्र-25 वर्ष,
 3. अनिल पिता बखरूदास, उम्र-27 वर्ष,
 4. प्रमोद उर्फ कालू पिता बखरूदास, उम्र-21 वर्ष,
- सभी निवासी कुम्हारी मोहल्ला, वार्ड नं.11, बैहर
थाना बैहर जिला बालाघाट।

- - - - **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(दिनांक 20/11/2017 को घोषित)**

01- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 01.10.2014 को 11:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम कुम्हारी मोहल्ला बैहर में फरियादी अनिल को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित कर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण शंकर व अजय को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया, अन्य आरोपी के साथ मिलकर आहत अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अनिल को डण्डे से मारपीट कर एवं नाखून से खरोंच कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादीगण को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 01.10.2014 की रात्रि 23:00 बजे आरोपीगण प्रमोद उर्फ कालू धार्वे, प्रदीप धार्वे, सुनील धार्वे, अनिल धार्वे ने प्रार्थी अनिल सोनी, आहत शंकर सोनी, अक्षय बरमैया को राकेश प्रजापति के बर्बा छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम देखने के दौरान अनिल सोनी का हाथ पकड़ने पर उसने बोला कि उसे क्यों खींच रहे हो तब आरोपीगण द्वारा गंदी-गंदी अश्लील गाली-गुफ्तार कर डण्डे एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे जिससे चोटें आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी अनिल सोनी के एम.एल.सी. के अवलोकन पर धारा-324 भा.दं.सं.

का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 133/2014 दिनांक 22.10.14 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 01.10.2014 को 11:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम कुम्हारी मोहल्ला बैहर में फरियादी अनिल को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर आहतगण शंकर व अजय को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर आहत अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अनिल को डण्डे से मारपीट कर एवं नाखून से खरोंच कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी अनिल सोनी अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को वह छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम देखने के लिये कुम्हारी मोहल्ला बैहर गया था, जहाँ आरोपी प्रमोद भी बैठा था, जिसे उसके भाई शंकर का पैर लग गया था। तभी प्रमोद उसके भाई शंकर के साथ मारपीट करने लगा, फिर शंकर और प्रमोद का झगड़ा होने लगा, तब वह बीच-बचाव करने लगा, तो आरोपी प्रमोद, अनिल, सुनील हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। फिर वह दोनों भाई थाना बैहर में आये और रिपोर्ट लिखवाये थे, जो प्रपी-01

है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त विवाद में उसे पेट के दाहिने तरफ चोट लगी थी और उसके भाई शंकर को सिर पर चोट लगी थी। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा नहीं बनाया था।

06— साक्षी अनिल सोनी अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह और उसका भाई शंकर तथा अजय छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम बैठकर देख रहे थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि तभी आरोपी प्रमोद उसका हाथ खींचने लगा था, आरोपी प्रमोद ने उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी तथा प्रमोद ने उसे हाथ में रखे डंडे से मारपीट की थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जैसे घटना घटी थी उसने पुलिस को जाकर वैसे ही रिपोर्ट लिखवाया था, उसने अपने तरफ से प्र.पी.01 की रिपोर्ट में कोई झूठी बात नहीं लिखवाया था तथा शंकर और अजय बीच-बचाव करने आये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने शंकर और अजय के साथ मारपीट किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 02.10.14 को उसका, शंकर और अजय का शासकीय अस्पताल बहर में ईलाज हुआ था, पुलिस उन्हें ईलाज हेतु अस्पताल लेकर गयी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रपी-02 उसके समक्ष तैयार किया था, पुलिस ने प्रपी-3 का कथन ली थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी राजीनामा की बात चल रही है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि इसीलिए वह घटना की पूरी बात नहीं बता रहा है।

07— साक्षी अनिल सोनी अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उनका और आरोपीगण का वाद-विवाद हुआ था, उस वाद-विवाद में दोनों पक्षों के बीच लामा-झूमी हुई थी, लामा-झूमी में वह और उसका भाई दोनों जमीन पर गिर गये थे, जिससे उसके भाई शंकर को सिर पर चोट लगी थी और गिरने से उसके पेट के दाहिने तरफ चोट लगी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गिरने से चोट आने वाली बात बता दी थी, यदि उनकी रिपोर्ट में उक्त बात न लिखी हो तो वह नहीं बता सकता, रिपोर्ट प्रपी-01 जैसे उन्होंने बताये थे वैसे नहीं लिखी है, पुलिस ने उनके बताये अनुसार बयान नहीं लिया है, आरोपी प्रमोद ने शंकर को मारपीट किया है से लेकर..... मारपीट करने वाली बात उसने घबराहट के कारण मुख्यपरीक्षण में बता दी थी, आरोपीगण ने भी उनके विरुद्ध रिपोर्ट किये थे, जिसका प्रकरण उनके विरुद्ध इसी न्यायालय में चल रहा है, पुलिस ने उनके बताये अनुसार घटना नहीं लिखी थी तथा आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं किये है।

08— साक्षी शंकर सोनी अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष नवरात्रि के समय रात्रि 9-10 बजे की है। घटना दिनांक को वह छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम देखने के लिए कुम्हारी मोहल्ला बैहर उसके भाई अनिल और अजय के साथ गया था, जहां पर आरोपीगण से सीधे बैठने की बात पर धक्का-मुक्की हो गई थी, जिससे उसे सीने में चोट लगी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी प्रमोद उसके भाई का हाथ पकड़कर खींचने लगा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि तभी आरोपी प्रमोद उसके भाई को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दे रहा था, आरोपी प्रमोद ने हाथ में रखे डंडे से उसके भाई को मार दिया था, वह और अजय बीच-बचाव करने गये थे, सभी आरोपीगण ने उन लोगों के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे, आरोपीगण उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, आरोपीगण से राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है तथा उसने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन दिया था।

09— साक्षी शंकर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से पैर लगने की बात पर उनका वाद-विवाद हो गया था, उन दोनों पक्षों में लामा-झुमी हो गई थी और उस झूमा-झपटी में वह और उसका भाई नीचे पथरीली जगह पर गिर गये थे और आरोपीगण भी गिर गये थे, उसे और उसके भाई अनिल को नीचे गिरने से चोट लगी थी, उन्होंने आवेश में आकर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा दिये थे, आरोपीगण ने भी उनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाये थे, उसे और उसके भाई अनिल को चोट नीचे जमीन पर गिरने से आई थी ना कि आरोपीगण के मारपीट करने से, आरोपी प्रमोद ने उसके भाई का हाथ पकड़कर नहीं खींचा था, उक्त बात उसने पुलिस वालों को बताया था, किन्तु उनके बताये अनुसार रिपोर्ट एवं बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किये थे।

10— साक्षी अजय अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष रात्रि के लगभग 10:00 बजे कुम्हारी मोहल्ला बैहर की है। घटना दिनांक को वह और शंकर तथा अनिल कुम्हारी मोहल्ला में रात्रि में कार्यक्रम देखने गये थे, तब आरोपी प्रमोद ने शंकर से कहा था कि वह लोग बाहर जाकर बैठो, फिर शंकर जा रहा था, तो आरोपी प्रमोद और शंकर की धक्का-मुक्की हो गयी थी। आरोपी प्रमोद के साथ आरोपी सुनील, प्रदीप, अनिल थे, जिन्होंने शंकर को समझाये और उसे, अनिल और शंकर के साथ आरोपी प्रमोद ने हाथा-पाई की थी। आरोपी सुनील, प्रदीप, अनिल ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। उक्त विवाद में उसे कोई चोट नहीं आई थी। शंकर और अनिल को चोटें आई थी, जिसमें शंकर की पीठ छीला गई थी और अनिल को चोट नहीं लगी थी, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे थे। उसका ईलाज नहीं हुआ था। शंकर और अनिल का ईलाज शासकीय अस्पताल

बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान थाने में लिये थे।

11— साक्षी अजय अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी प्रमोद अनिल के पास आकर हाथ पकड़कर खींचने लगा था, तब अनिल सोनी ने बोला कि क्यों खींच रहा है, किन्तु इन सुझावों को साक्षी ने इंकार किया है कि तब प्रमोद अनिल को मादरचोद, माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा था, अनिल सोनी द्वारा गाली देने से मना करने पर प्रमोद ने अनिल को डण्डे से मार दिया था। यह स्वीकार किया है कि उक्त झगड़े में वह और शंकर ने बीच-बचाव करने गये थे तथा उक्त बीच-बचाव में आरोपी प्रमोद, प्रदीप, सुनील और अनिल आ गये थे और उसे एवं शंकर को धक्का दिये थे, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी प्रदीप, सुनील, अनिल ने उसके एवं शंकर सोनी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे आरोपीगण उन लोगों को जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि धक्का देने पर आई चोट और डण्डा से मारने वाली चोट दोनों अलग-अलग होती है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी राजीनामा की बात चल रही है, इसलिये वह न्यायालय में घटना की सही बात नहीं बता रहा है तथा दिनांक 01.10.2014 को थाना बैहर की पुलिस ने उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में कराया था तथा उक्त ईलाज के दौरान डॉक्टर साहब ने उसके शरीर पर साधारण चोटें पाई थी तथा उसने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन दिया था।

12— साक्षी अजय अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से पैर लगाने की बात को लेकर उनका वाद-विवाद हो गया था, उन दोनों पक्षों के बीच लामा-झूमी हुई थी, उसी झूमा-झपटी में धक्का लगाने से अनिल और शंकर पथरीली जगह पर नीचे गिर गये थे, धक्का-मुक्की में आरोपीगण भी नीचे गिर गये थे, शंकर और अनिल को नीचे गिरने से चोट आई थी, प्रमोद ने अनिल और शंकर के साथ कोई हाथापाई नहीं की थी, शंकर धक्का-मुक्की में पीठ के बल गिरा था, जिससे शंकर की पीठ छील गई थी, धक्का देने से गिरने एवं लकड़ी के मारने से आई चोटें अलग-अलग होती है, पुलिस ने उसका बयान उसके बताये अनुसार नहीं लिखा था और ना ही उसे पढ़कर सुनाया था और ना ही उसने पढ़कर देखा था, आरोपीगण ने भी उनके विरुद्ध रिपोर्ट की थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तथा आरोपी प्रमोद ने अनिल के पास आकर हाथ पकड़कर नहीं खींचा था।

13— साक्षी अंकित अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व कुम्हारी मोहल्ला वार्ड नंबर 11 में रात्रि के समय की है। घटना के समय कुछ लोगों का विवाद

हो रहा था, जिसे आरोपीगण शांत कर रहे थे। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय रात्रि करीब 11 बजे समिति के प्रमोद ने अनिल सोनी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए हाथ पकड़कर खींचतान की एवं डंडे से मार दिया, बीच-बचाव करने शंकर सोनी और अजय बरमैया आये तो उन्हें भी आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.14 पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण ने किसी प्रकार की गाली-गलौच एवं मारपीट नहीं किये थे तथा आरोपीगण अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये झगड़े को संभालने गये थे।

14— साक्षी वीरेन्द्र ठाकुर अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व कुम्हारी मोहल्ला वार्ड नंबर 11 में रात्रि के समय की है। घटना के समय कुछ लोगों का विवाद हो रहा था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय रात्रि करीब 11 बजे समिति के प्रमोद ने अनिल सोनी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए हाथ पकड़कर खींचतान की एवं डंडे से मार दिया, बीच-बचाव करने शंकर सोनी और अजय बरमैया आये तो उन्हें भी आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.15 पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह कहना गलत है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

15— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 ने कहा है कि वह दिनांक 02.10.2014 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक खेमेश्वर क्रमांक 283 द्वारा आहत अनिल को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जांच में उसने चोट क्रमांक 01—एब्रेजन अनियमित किनारे, लालीमा लिये, दाहिने भुजा पर बाहर की तरफ, चोट क्रमांक 02—एब्रेजन कर्व आकार में एक-दूसरे के सामान्तर पीठ पर दाहिने तरफ तथा चोट क्रमांक 03—कंट्यूजन दाहिने आई ब्रो पर होना पाया था। उसके मतानुसार उसके द्वारा सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 02 मनुष्य के नाखून से आ सकती थी। चोट क्रमांक 01 एवं 03 कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उक्त चोटें उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.11, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत शंकर को लाने पर उसके द्वारा

चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्रमांक 01-एब्रेजन दाहिने सीने पर होना एवं चोट क्रमांक 02-कंट्यूजन पैराइटल बोन ऑफ स्कल पर होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उक्त चोटें उसकी जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत अजय को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्रमांक 01-कंट्यूजन सिर के अग्रभाग पर दाहिने तरफ, चोट क्रमांक 02-एब्रेजन पीठ पर एवं चोट क्रमांक 03-एब्रेजन नि-ज्वॉईट पर बांये तरफ बाहर की ओर होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उक्त चोटें उसकी जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16- साक्षी डॉ० एन.एस. कुमारे अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा पुलिसवालों के कहने पर बिना सही परीक्षण किये प्रार्थीगण की झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी, उसने पुलिसवालों के कहने पर प्रकरण को मजबूत बनाने के लिये उपरोक्त चोटें उक्त प्रकरण में मेशन की थी, उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रार्थीगण को नीचे गिरने से आ सकती है, प्रार्थी शंकर को उक्त चोट धक्का-मुक्की में पीठ के बल गिरने से आई थी, परन्तु उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर उक्त बात नहीं लिखी गई, उक्त चोटें पथरीली जमीन पर गिरने से भी आ सकती है, उसने मात्र खानापूर्ति के लिये पुलिसवालों के कहने पर प्रार्थीगण की झूठी मुलाहिजा रिपोर्ट बनाई थी तथा जब प्रार्थीगण को उसके पास लाया गया था, तो उन्हें उसके द्वारा बतलाई गई उपरोक्त चोटें थी ही नहीं।

17- साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.04 ने कहा कि वह दिनांक 01.10.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 152/2014 धारा 294, 323, 506बी, 34 भा.दं०सं० के मामले की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने प्रार्थी अनिल सोनी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग उसके हस्ताक्षर हैं। समक्ष गवाहों के दिनांक 08.10.14 को घटना से प्रयुक्त डण्डा के संबंध में आरोपियों से पूछताछ किया तो घटना में प्रयुक्त डण्डा नहीं मिला एवं समस्त गवाहों के तलाशी पंचनामा बनाया जो प्र.पी06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही गवाह अनिल, शंकर, अजय, अंकित, विरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपीगण सुनील धार्वे, प्रदीप धार्वे, अनिल धार्वे और प्रमोद को गवाह छोटू यादव तथा उमाकांत नीलभरे के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.7 लगायत प्र.पी10 तैयार किया गया था, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी अनिल की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त

होने पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-324 भा.दं०सं० बढ़ायी गयी थी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

18— साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अवीकार किया है कि घटना में डण्डे से कोई मारपीट नहीं हुई थी, इसलिए वह डण्डा जप्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने प्र.पी. 06 की झूठी कार्यवाही की है, प्रार्थी अनिल के सामने उसने मौका-नक्शा प्र. पी02 की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा प्र.पी02 के कॉलम नम्बर आठ में घटनास्थल पर पहुँचने की दिनांक में ओवर राईटिंग की गई है। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसने ओवर राईटिंग इसलिए की कि वह उस दिनांक को घटनास्थल पर नहीं गया और थाने में बैठकर ही प्र.पी02 की कार्यवाही की थी, प्रार्थी अनिल ने अपने न्यायालयीन परीक्षण एवं पूर्व परीक्षण में यह बतलाया है कि आरोपीगण एवं प्रार्थी अनिल एवं शंकर के बीच में लामा-झूमि हुई थी, जिससे दोनों पक्ष नीचे जमीन पर गिर गये थे और जमीन पर गिरने से ही अनिल के भाई शंकर को सिर पर चोट लगी थी, यही बात अनिल ने अपने बयान एवं पुलिस रिपोर्ट में बतलाया था पर उक्त बात उनके बताये अनुसार न लिखकर उसने अपने हिसाब से उनका बयान लिखा है। यह अस्वीकार किया है कि प्रार्थी अनिल, शंकर एवं अजय ने अपने न्यायालयीन परीक्षण एवं पूर्व परीक्षण में बतलाया है कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को उनको मों-बहन की अश्लील गालियां नहीं दी गयी और ना ही जान से मारने की धमकी दी गयी थी, और यही बात उन्होंने अपने पुलिस बयान में बतलायी थी, परंतु उसके द्वारा उनके बतलाये अनुसार बयान न लिखकर अपने मन से उनके बयान लिख लिये गये, शंकर व अजय का भी यही कहना है कि उनको जो भी चोट आयी वह दोनों पक्षों में लामाझूमि होने व नीचे पथरीली जमीन में गिरने से चोट आयी थी, उसने घटना की वास्तविक जांच नहीं कर आरोपीगण के विरुद्ध अपनी विभागीय खानापूति के लिए झूठा प्रकरण बनाकर पेश किया है, उसने घटना की वास्तविकता की जांच नहीं किया है।

19— साक्षी आर.के. सिंह ठाकुर अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी अवीकार किया है कि उसने गवाहों के सामने प्र.पी.07 से लगायत 10 तक की कार्यवाही नहीं की थी, इसलिए उसने प्र.पी07 से 10 तक के गवाहों को साक्ष्य में न लेकर न्यायालय में बतौर साक्षी उनका नाम साक्ष्य सूची में दर्ज नहीं किया, विवेचना के दौरान उसे एम.एल.सी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी फिर भी उसने आरोपीगण के विरुद्ध धारा-324 भा. दं०सं० बिना किसी वजह के बढ़ा दी थी, उसने सभी गवाहों के बयान अपने मन से लेख किया था, प्रार्थी अनिल सोनी ने अपने न्यायालयीन कूट परीक्षण में बतलाया है उसको व उसके भाई शंकर को जमीन पर गिरने से चोट आयी थी वही बात उन्होंने अपने बयान में लिखायी थी, परंतु उनकी बतलायी बातों को उसके द्वारा बयान में नहीं लिखा गया है। यह कहना गलत है कि उसने

फरियादीगण की वास्तविक बातों पर घटना की जांच नहीं की बल्कि मात्र खानापूति के लिए झूठा प्रकरण बनाया है और बिना कोई जांच किये धारा-324 भा.दं०सं० आरोपीगण के विरुद्ध बढा दी है।

20— घटना के आहतगण द्वारा ही घटना से इंकार कर अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। सभी आहतगण ने निर्विवाद रूप से कथन किये हैं कि पैर लगने की बात को लेकर उसका वाद-विवाद हुआ था, जिसके पश्चात दोनों पक्षों में लामा-झुमी हुई थी और उसी झूमा-झपटी में गिरने से उन्हें चोटें आई थी। आहतगण द्वारा माँ-बहन की गालियाँ दिये जाने से इंकार कर पुलिस ने उनके बताये अनुसार कथन लेख नहीं करने के कथन किये हैं। घटना का अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उभयपक्ष द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराना तथा पश्चात में समझौता होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र चिकित्सा तथा विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अनिल को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित कर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण शंकर व अजय को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा अन्य आरोपी के साथ मिलकर आहत अनिल को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अनिल को डण्डे से मारपीट कर एवं नाखून से खरोंच कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादीगण को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग-दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

23— प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / —

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट